मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ–5–21 / 2012 / 10–3 /602   भोपाल, दिनॉक: 06 अप्रैल, 2016

प्रति,

1 श्री डी.पी. आहूजा
प्रबंध संचालक
एम.पी. ट्रायफेक
भोपाल।

2 श्री एस.के. मण्डल
अपर प्रधन मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

3 श्री बी.के. मिश्रा
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन भू–अभिलेख)
म.प्र. भोपाल

4 श्री शरद गौड़
मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

5 श्री जे.एन. व्यास
प्रबंध संचालक
म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
भोपाल।

विषय:– **औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला–रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव के संबंध में आयोजित बैठक।**

–0–

औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला–रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव के संबंध में आयोजित बैठक के संबंध में अपर मुख्य **सचिव, वन की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2016 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।**

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

क्रमांक / एफ–5–21 / 2012 / 10–3   भोपाल, दिनॉक: अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:–

निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

General Manager
M.P.A.K.V.N. Bhopal

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला-रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव के संबंध में आयोजित बैठक।

दिनांक 21 मार्च, 2016 का कार्यवाही विवरण

अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित उनके कक्ष कमांक 341 में दिनांक 21 मार्च, 2016 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची "परिशिष्ट" अनुसार है।

बैठक में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है:-

1. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन स्थित संरक्षित वन भूमि 488.90 एकड़ के निर्वनीकरण प्रस्ताव पर प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक द्वारा वन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.11.2014 में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, (एफ.सी.डिवीजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2014 से प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चाही गई समतुल्य गैर वन भूमि के चयन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराया गया। चर्चा उपरांत अपर मुख्य सचिव, वन द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंगरौली जिले में स्थित महान कोल ब्लॉक के संदर्भ में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा चयनित भूमि में से 488.90 एकड़ भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया जाये। नेट प्रजेन्ट वैल्यू का भुगतान आदि संबंधित व्यय की पूर्ति मांग अनुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट शीर्ष से की जा सकेगी।
2. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला-रायसेन स्थित आरक्षित वन भूमि 40.20 एकड़ में वन विभाग की सहमति के आधार पर अतिरिक्त 191.94 एकड़ परिमाप की आरक्षित वन भूमि कुल 232.14 एकड़ के निर्वनीकरण प्रस्ताव प्रचलन में थे। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-नूरगंज एवं कुमड़ी बिठोरी, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन की उद्योग विभाग को हस्तांतरित 232.14 एकड़ भूमि माह फरवरी 2014 में वन विभाग को प्रदाय की गई थी। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप अंतर्गत आने वाली आरक्षित वन भूमि 40.20 एकड़ का ही निर्वनीकरण प्रस्ताव तैयार किया जावे एवं शेष भूमि Green belt के रूप में विकसित किया जायेगा। ग्राम-नूरगंज एवं कुमड़ी बिठोरी, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन की वन विभाग को हस्तांतरित 232.14 एकड़ भूमि मूलतः उद्योग विभाग को वापिस की जावे।
3. उपरोक्तानुसार औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप अंतर्गत आने वाले संरक्षित वन भूमि(488.90 एकड़) एवं आरक्षित वन भूमि(40.20 एकड़) के निर्वनीकरण प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित कुल 529.10 एकड़ गैर वनभूमि महान कोल ब्लाक के संदर्भ में चयनित राजस्व भूमि से प्राप्त की जावेगी।

अपर मुख्य सचिव, द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य एक माह की समयावधि में पूर्ण किया जावे एवं इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही सम्पादन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर से श्री डी.पी. आहूजा, प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक एवं वन विभाग की ओर से श्री एस.के. मण्डल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., भोपाल नोडल अधिकारी होंगे।

बैठक समस्त उपस्थित को धन्यवाद ज्ञापित कर समाप्त हुई।

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट

दिनांक 21.03.2016 को औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला–रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव के संबंध में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

1. श्री डी.पी. आहूजा,
   प्रबंध संचालक,
   एम.पी.ट्रायफेक,
   भोपाल
2. श्री आर.के. श्रीवास्तव,
   सचिव,
   म.प्र. शासन,
   वन विभाग
   मंत्रालय, भोपाल
3. श्री एस.के. मण्डल,
   अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध)
   म.प्र. भोपाल
4. श्री बी.के. मिश्रा,
   अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–अभिलेख)
   म.प्र., भोपाल
5. श्री शरद गौड़,
   मुख्य वनसंरक्षक(भू–प्रबंध)
   म.प्र., भोपाल
6. श्री जे.एन. व्यास,
   प्रबंध संचालक,
   म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,
   भोपाल।

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–5–2/2010/10–3 ::
भोपाल, दिनांक 05.2016

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:– जिला सागर में महान कोल ब्लॉक के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि 967.65 हेक्टेयर में से अन्य परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने बाबत।

—00—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक एफ–8–06/2008/एफ.सी दिनांक 12.02.2014 से सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित महान कोल ब्लॉक से कोयला खनन हेतु मेसर्स महान कोल लिमिटेड के पक्ष में 967.65 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तित की गई थी, जिसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा भी पत्र क्रमांक 460/499/2014/10–3 दिनांक 05.03.2014 से स्वीकृति जारी की गई।

2/ महान कोल लिमिटेड द्वारा सिंगरौली जिले में 967.65 हेक्टेयर व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सागर जिले में 967.65 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई। गैर वनभूमि का हस्तांतरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा यह भूमि वर्तमान में वन विभाग के आधिपत्य में है।

3/ भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 25.02.2016 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी औपचारिक अनुमोदन दिनांक 12.02.2014 को वापिस ले लिया गया है। इस प्रकार उक्त योजना निरस्त कर दी गई है।

4/ अतः राज्य शासन द्वारा उक्त योजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि 967.65 हेक्टेयर को निम्नानुसार निम्न विभागों/संस्थानों को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाता है:–

1.	जल संसाधन विभाग को	–	250.08 हेक्टेयर
2.	एम.पी. ट्राइफेक को (मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के लिये)	–	214.120 हेक्टेयर
3.	शेष भूमि नर्मदा घाटी हेक्टेयर विकास प्राधिकण को	–	503.45 हेक्टेयर
	कुल		967.65 हेक्टेयर

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

[illegible] आवेदक विभागों/संस्थाओं द्वारा अपेक्षानुसार आवंटित [illegible] [illegible] वृक्षारोपण के संबंध में नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ–5–2/2010/10–3/1224 भोपाल, दिनांक–26-05-2016

प्रतिलिपि:–

1. उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल (म0प्र0)
2. अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्राइफेक, भोपाल (म0प्र0)
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
8. वनमण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल, उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर, सागर जिला–सागर, मध्यप्रदेश।
10. मेसर्स महान कोल लिमिटेड, 489, परिहार हाऊस, माजनखुर्द, माजनमोर, पो.ऑ. [illegible] (बैढ़न) जिला–सिंगरौली, पिन–486886.
11. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ—5 / 2016 / 10—11 / भोपाल, दिनांक

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः— जिला सागर में महान कोल ब्लॉक के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वन भूमि 967.65 हेक्टेयर में से अन्य परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवटन करने बाबत्।

संदर्भः— (1)मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—5—21 / 2012 / 10—3 / 602 दिनांक 06.04.2016.
(2)मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—5—2 / 2010 / 10—3 / 774 दिनांक 26.05.2016.

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। संदर्भित पत्र (1) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला—रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 21.03.2016 को अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में निर्णय लिया गया है कि सिंगरौली जिले के महान कोल ब्लॉक के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सागर जिले में प्रस्तावित एवं हस्तांतरित राजस्व भूमि को संदर्भित पत्र (2) में उल्लेखित योजनाओं के लिए प्रस्तावित की जावे।

अतः मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) में दिए निर्देश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला—रायसेन हेतु 488.90 एकड़ एवं 40.20 एकड़ वन भूमि कुल 529.10 एकड़ (214.120 हेक्टेयर) की पृथक—पृथक दो वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपनी तकनीकी स्वीकृति उपरांत संबंधित मुख्य वन संरक्षक भोपाल एवं वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला—रायसेन के निर्वनीकरण के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

3/6/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ—5 / 2016 / 10—11 / 1204 भोपाल, दिनांक 6-6-16

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल।
3. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, उत्तर सागर / दक्षिण सागर / औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश

की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

3/6/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

General Manager
A.K.V.N., Bhopal

C:\Misc.docx

कार्यालय वन संरक्षक, सागर वृत सागर मध्य प्रदेश

क्रमांक / मा.चि. / व्यय / 2016 / 3456 सागर, दिनांक 24/06/2016

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
औबेदुल्लागंज,
जिला–रायसेन (म.प्र.)

विषय – जिला सागर में महान कोल ब्लॉक के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि 967.65 हैक्टर में से अन्य परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन करने बावत।

संदर्भ – 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/ एफ–5 / 2016 / 10–11 / 662 दिनांक 21 / 4 / 2016 एवं कमांक 1203 दिनांक 6 / 6 / 2016

2. वन मंडल अधिकारी, औबेदुल्लागंज, जिला–रायसेन का पत्र कमांक / मा.चि. / 1141 दिनांक 4 / 5 / 2016

3. वन मंडल अधिकारी, दक्षिण सागर का पत्र क. / व्यय / मा.चि. / 2016 / 859 दिनांक 22 / 06 / 2016

– 0 –

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / एफ–5 / 2016 / 10–11 / 1203 दिनांक 6.6.2016 के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र नंदीदीप जिला रायसेन हेतु वनभूमि के निर्वनीकरण के अंतर्गत वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर के संदर्भित पत्र से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार पृथक–पृथक प्राप्त की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है जो आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

क्र0	वनमंडल	रकबा (है)	जारी तकनीकी स्वीकृति कमांक व दिनांक
1	दक्षिण सागर	16.50	आ.क. / व्यय / 38 दिनांक 23 / 6 / 2016
2		197.62	आ.क. / व्यय / 39 दिनांक 23 / 6 / 2016

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(कमलेश चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृष्ठा.क्रमांक / मा.चि. / व्यय / 2016 / 3457 सागर, दिनांक 24/06/2016

प्रतिलिपि –

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत, भोपाल की ओर उनके पृष्ठा. कमांक / मा.चि. / 2766 दिनांक 26 / 4 / 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर की ओर उक्त संदर्भ के तारतम्य में जारी तकनीकी स्वीकृति की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल को सूचनार्थ ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार (अ.क्र. 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक 23.6.16
सागर वृत सागर

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

D:\cf\sagar2\C35 Computer\...

आदेश द्वारा श्री कमलेश चतुर्वेदी,(भा.व.से.)मुख्य वनसंरक्षक, सागर वृत सागर (म.प्र.)

/ आदेश /

सागर दिनांक 23/06/2016

आदेश क्रमांक/व्यय/2016/38

वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन में प्रभावित 40.20 Acre (16.28 ha) आरक्षित वनभूमि के बदले 16.50 ha राजस्व भूमि परिक्षेत्र केसली में ग्राम खरखरी खसरा क्रमांक 01 में स्थित है, को वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के लिये प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य के क्रियान्वयन हेतु म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार दिनांक 03/09/2003 में दिये प्रावधान के अंतर्गत वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/व्यय/मा.चि./889 दिनांक 22/06/2016 द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कुल राशि ₹ 1,08,48,357.00 (शब्दों में एक करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सन्तावन मात्र) की एतद द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1- कार्य राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा ।

2- समस्त क्रय, क्रय नियमों के अधीन किया जावेगा ।

3- कार्यों में मितव्ययता बरती जावेगी ।

4- मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/572 दिनांक 7/02/2002 के अनुरूप कार्य कराये जावेंगे एवं सफलता सुनिश्चित की जावेगी ।

5- सुरक्षा कार्यों मे संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जावेगा ।

6- जल एवं मृदा संरक्षण के प्रस्तावित कार्य में परिवर्तन हो सकेगा, परन्तु व्यय प्रोजेक्ट में दी गई राशि से अधिक नहीं होगा ।

क्र.	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे0में)	राशि
I	2	3	4	5	6.	7
1	दक्षिण सागर	केसली	खरखरी	01	16.50	10848357.00
				Total	16.50	10848357.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-17 के अनुक्रमांक 112 पर दर्ज है । उपरोक्त राशि उपलब्ध होने पर वित्तीय नियमावली के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत कार्य संपादित किया जावेगा ।

(कमलेश चतुर्वेदी)
भा.व.से. 1986
मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक
वन वृत्त सागर
सागर दिनांक 24/06/2016

पृष्ठा. क्रमांक/व्यय/2016/3461

प्रतिलिपि -

1- महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2- वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय/मा.चि./889 दिनांक 22/06/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3- मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक
वन वृत्त सागर
23/6/16

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

9

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 14अ/19(3) वर्ष 16-17
ग्राम मुगावली, मिलैया, मसवासी ग्रन्ट
मुडेरी, भरदी, खरखरी, सहजपुरी,
बम्होरी, घाना, खमकुआ जिला सागर

:: आदेश ::

(दिनांक 03/05/2017)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञापन क्रमांक-एफ 5-2/2010/10-3/774 भोपाल दिनांक 26.05.16 जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.भोपाल को प्रेषित किया गया में उल्लेख किया गया कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक-एफ 8-06/2008/एफ.सी. दिनांक 12.02.14 से सिंगरोली कोयला क्षेत्र में स्थित महान कोल ब्लाक से कोयला खनन हेतु मेसर्स महान कोल लिमिटेड के पक्ष में रकबा 967.65 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई थी, जिसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा भी पत्र क्र.-450/499/2014/ 10-3 दि. 05.03.2014 से स्वीकृति जारी की गई।

2- महान कोल लिमिटेड द्वारा सिंगरोली जिले में 967.65 हे. व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सागर जिले में 967.65 हे. गैर वन भूमि उपलब्ध कराई गई। गैर वन भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा यह भूमि वर्तमान में वन विभाग के आधिपत्य में है।

3- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 25.02.16 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी औपचारिक अनुमोदन दिनांक 12.02.14 को वापिस ले लिया गया है। इस प्रकार उक्त योजना निरस्त कर दी गई है।

4- राज्य शासन द्वारा उक्त योजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि 967.65 हे. को निम्नानुसार विभिन्न विभागों/संस्थाओं को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया गया है :-

क्र	विभाग/संस्था का नाम	रकबा
1	जल संसाधन विभाग को	250.08 हे.
2	एम.पी.ट्राईफेक को (म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के लिये)	214.120 हे.
3	शेष भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को	503.45 हे.
	कुल योग-	967.65 हे.

आवेदक विभागों/संस्थानों द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के संबंध में नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5- मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के ज्ञापन क्र./मा.चि./व्यय सागर दि. 23.07.16 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भु-प्रबंध) म.प्र.भोपाल को प्रेषित किया गया है में 967.65 हे. को निम्नानुसार विभागों को आवंटित किया गया है :-

क्र	विभाग/संस्था का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा नं0	रकबा हे.में	आवंटित विभाग
1	वन मंडल उत्तर सागर	मालथौन	मुगावली	1/1	96.00 हे.	जल संसाधन विभाग
2		मालथौन	मिलैया	402/1	30.00 हे.	
3		उत्तर सागर	मसवासी ग्रन्ट	37/2	50.00 हे.	
4	वन मंडल दक्षिण सागर	देवरी	मुडेरी	47/1	47.00 हे.	जल संसाधन विभाग
5		केसली	भरदी	88 (का भाग लिया जावेगा)	14.38 हे.	
6		केसली	खरखरी	1 (का भाग लिया जावेगा)	4.68 हे.	
7		गौरझामर	सहजपुरी	1/2 (का भाग लिया जावेगा)	8.02 हे.	
				योग-	250.08 हे.	
8		केसली	खरखरी	1 (का भाग लिया जावेगा)	16.50 हे.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
9		केसली	भरदी	61,79,82,85,88(का भाग लिया जावेगा)	90.62 हे.	
10		केसली	बम्होरी	312/1	62.00 हे.	
11		केसली	घाना	411	45.00 हे.	
				योग-	214.12 हे.	
12		गौरझामर	सहजपुरी	1/2 (का भाग लिया जावेगा)	37.45 हे.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल
13		राहतगढ़	खमकुआ	595(P), 673	100.00 हे.	
14		राहतगढ़	खमकुआ	6,9/1(P), 37	100.00 हे.	
15		राहतगढ़	खमकुआ	53/1(P), 58, 595(P)	100.00 हे.	
16		राहतगढ़	खमकुआ	104/1(P),144/1, 415/2	100.00 हे.	
17		राहतगढ़	खमकुआ	9/1(P), 53/1(P), 84	66.00 हे.	
				योग-	503.45 हे.	
				महायोग-	967.65 हे.	

कलेक्टर
सागर

परिक्षेत्र केसली के ग्राम भरदी ख0नं0 88 कुल रकबा 25.99 हे., ग्राम खरखरी ख0नं0 1 कुल रकबा 29.78 हे. तथा परिक्षेत्र गौरझामर के ग्राम सहजपुरी ख0नं0 1/2 कुल रकबा 45.47 हे. दो विभागों में उपरोक्त सूची में दर्शित अनुसार आवंटित किया गया है।

6- म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-21/2012/10-3/774 भोपाल दिनांक 26.05.16 में दिये गये निर्देशानुसार तथा मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के ज्ञापन क्रमांक-मा.चि./व्यय सागर दिनांक 23.07.16 के अनुसार रकबा 967.65 हे. को विभागवार आवंटित किया गया है।

अतः पैरा 5 अनुसार आवंटित विभागों को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। तहसीलदार सागर/देवरी/मालथौन/केसली/रहली को आदेश दिये जाते है कि आरक्षित भूमि को पटवारी के खसरा पांचसाला के कालम नं. 12 में वन विभाग को वनीकरण हेतु हस्तांतरित के स्थान पर संबंधित विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दर्ज किया जावे एवं कालम नं. 03 में म.प्र.शासन दर्ज किया जावे पालन प्रतिवेदन संबंधित खसरा पांचसाला एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित भेजा जावे।

कलेक्टर
जिला-सागर

4632

पृ0क्र0/ /टीएफलेप्0/2017 सागर दिनांक 3/5/2017

प्रतिलिपिः-

1- सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
2- सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
4- उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)
5- अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
6- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7- प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल (म.प्र.)
8- प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
9- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
10- मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर मध्यप्रदेश
11- अनुविभागीय अधिकारी सागर, देवरी, खुरई, रहली जिला सागर
12- वन मण्डल अधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर/दक्षिण सागर, (म.प्र.)
13- तहसीलदार सागर, देवरी, मालथौन, केसली, रहली जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
14- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर
15- मेसर्स महान कोल लिमिटेड, 489, परिहार हाउस, माजनखुर्द, माजनमोर, पी.ओ. बरगनी (बैढ़न) जिला सिंगरौली, पिन- 486886

कलेक्टर
जिला-सागर